(323)

II/निग०/सिंगरौली/भू०रा०/2018/02347

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, कैम्प रीवा, म0प्र0

रामसागर जायसवाल तनय श्री राममनोहर जायसवाल, निवासी ग्राम झारा, तहसील सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0 - — निगरानीकर्ता

बनाम

1- पंचम पिता गजाधर अहिर,

2- हिरिया पति बाबूलाल अहिर

3- छोटेलाल पिता बाबूलाल अहिर

सभी निवासी ग्राम झारा, तहसील सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0

4- शासन म0प्र0 - ——गैर निगरानी कर्तागण

अधि० श्री आर०के० देव, पाण्डेय द्वारा पेश। 11-4-18

निगरानी विरुद्ध आदेश कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल सरई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0, प्र.क्र. 50/अ-12/2017-18 आदेश दिनांक 28.02.2018, अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई.।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि माननीय अधीनस्थ कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल सरई, जिला सिंगरौली का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय /राजस्व निरीक्षक द्वारा भूमि नं. 1629 क्षेत्रफल 0.61 हे. अनावेदक के आवेदन पत्र पर सीमांकन की कार्यवाही की है, उक्त कार्यवाही मे आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, कि पड़ोसी भूमिस्वामियो को बिना सूचना दिये, सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जिसमे स्थल टीप, नक्शा ट्रेस का प्रतिवेदन सामिल है, वह विधि विरुद्ध है। क्योंकि सीमांकन की कार्यवाही

(323)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / सिंगरौली / 2018 / 02347 / भू–रा0 जिला सिंगरौली

रामसागर जायसवाल / पंचम अहिर

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री आर0के0 देव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल सरई, तहसील सरई, जिला सिंगरौलीं के प्रकरण क्रमांक 50 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 28.02.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.02.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

[illegible] है । उपरोक्त से मालिकन का कार्यवाही